पत्रांक–09/स्था0–21–02/2025 सा0प्र0:–......................./

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

राज किशोर तिवारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष,
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन,नई दिल्ली ।

दिनांक–.................

विषयः– **सभी विभागों/संलग्न कार्यालयों में कार्यरत बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिकों की समेकित सिविल लिस्ट के प्रकाशन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 की धारा–9(ii) एवं तदनुसार अधिसूचित बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 (यथासंशोधित) के नियम–6 (2)(i) में विहित प्रावधान के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के स्वीकृत बल के 25 प्रतिशत पदों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा उच्च वर्गीय लिपिक की कोटि से प्रोन्नति द्वारा भरा जाना है ।

बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा का विभागवार संवर्ग होने के कारण सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के उच्चवर्गीय लिपिकों को सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति देने हेतु सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के उच्चवर्गीय लिपिको की समेकित वरीयता सूची सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर संधारित की जाती है।

सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5066 दिनांक–11.04.2019 के आलोक में नियमित प्रोन्नति पर रोक है। अतः सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना सं0–19300, दिनांक–13.10.2023 के तहत राज्य के प्रशासनिक हित में राज्याधीन सेवाओं की प्रोन्नति के पद सोपान में तदर्थ एवं पूर्णतः अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत राज्य कर्मियों को प्रोन्नति के पदानुक्रम में विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार देने की व्यवस्था की गई है।

अधिसूचना सं0–19300, दिनांक–13.10.2023 के आलोक में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिकों को बिहार सचिवालय सेवा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पद का विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार दिये

कृ0पृ0उ0

जाने हेतु सभी विभागों एवं संलग्न कार्यालयों के उच्चवर्गीय लिपिकों (नियमित प्रोन्नत अथवा विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त) की समेकित सिविल लिस्ट बनाया जाना है।

अतः समेकित सिविल लिस्ट के प्रकाशन हेतु सभी विभागों/संलग्न कार्यालयों में बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चतर पद का कार्यकारी प्रभार प्राप्त उच्चवर्गीय लिपिकों की वांछित सूचना विहित प्रपत्र में इस विभाग को 20 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(राज किशोर तिवारी),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–09/स्था0–21–02/2025, सा0प्र0:–8131/ पटना–15, दिनांक:–08.05.25

प्रतिलिपि:– आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

08/05/25

सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक:–02/स्था0–16–02/2024– 2248 पटना, दिनांक–21.5.25

प्रतिलिपि:– सभी मुख्य अभियंता/सभी निदेशक/उप सचिव काडा, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. अनुरोध है कि अपने कार्यालय मे पदस्थापित बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिकों (नियमित प्रोन्नत अथव विहित वेतनमान के साथ उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त) की सूचना संलग्न विहित प्रपत्र में अंकित कर **दो (02) दिनों** के अन्दर अधोहस्ताक्षरी निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

3. कार्यपालक अभियंता IT Centre जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित कार्यालय को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक:– यथोक्त।

21.5.2025
(कृष्ण गोपाल)
सरकार के अवर सचिव
21/5/25

सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्चवर्गीय लिपिकों का समेकित सिविल लिस्ट हेतु विहित प्रपत्र

विभाग का नाम–

क्रमांक	सरकारी सेवक का नाम	जन्म तिथि/ सेवानिवृति की तिथि	आरक्षण कोटि	निम्न वर्गीय लिपिक के पद पर योगदान की तिथि	नियुक्ति का स्रोत	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	प्रोन्नति/उच्चतर पद का प्रभार देने संबंधी निर्गत आदेश की तिथि	उच्च वर्गीय लिपिक के पद का प्रभार ग्रहण करने की तिथि	अभ्युक्ति

....

उप सचिव से अन्यून स्तर के पदाधिकारी का हस्ताक्षर